Through Press Notifications, public at large is regularly advised to contact the above laboratories for free testing of water quality in case of any complaint.

Government Accommodation for Long Waiting Employees

1858. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have decided to bail out the out-of-turn allottees of Government accommodation, which the Supreme Court had ruled illegal allotment and ordered evictions;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government had taken into consideration the cases of Government employees who have not been allotted any accommodation despite rendering more than 25 years of service, before taking the above decision; and

(d) if so, the remedial steps taken to redress their grievances?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) The out of Turn Allotment of Residence (Validation) Ordinance, 1997 was promulgated on 21.6.97 to save out of turn allotees from eviction on humantarian grounds following the desire expressed by all the political parties. However, the out of turn allottees involved in subletting and who obtained such allotments by mis-representation of facts, by fraudulent means or where such allotment was of higher type than their entitlement, shall be evicted. A Bill has been introduced in the Lok Sabha to replace the Ordinance.

(c) and (d) A high powered Committee was set up under the Chairmanship of Director-General, Central Public Works Department, to consider the need for construction of more residential accommodation for augmenting the housing stock for General Pool. Two representations of the employees were associated with the Committee which has submitted its report.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फलैटों का बिना बारी आवंटन

1859. **श्री ईशदत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान बिना बारी के आवंटित किए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की आवंटितियों के नामों के साथ संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इसके मुख्यतः क्या कारण हैं;

(ख) ये आवंटन किन-किन क्षेत्रों में किए गए, भुगतान किस रूप में किया गया, किन-किन व्यक्तियों का आवंटन किया गया और ऐसे आवंटन किनकी सिफारिशों पर किये गए;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा विगत उक्त वर्षों के दौरान वर्षवार कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया था और उनमें से कितने फ्लैटों का आवंटन किया गया है; और

(घ) क्या न्यू पैटर्न हाउसिंग स्कीम, 1979 के आवंटितियो को मनोवांछित बस्ती चुनने का विकल्प नहीं दिया गया था?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सूचना के अनुसार गत पांच वर्षों के दौरान, 256 बिना-बारी आधार पर आवंटित किये गये थे। इन आबंटनों बाबत आवंटियों के नाम और आधार सहित आवंटन इलाके के वर्ष-वार ब्यौरे अनुपत्र में हैं। [देखिए परिशिष्ट 181 अनुपत्र संख्या 49] में हैं। बिना-बारी आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नकद भुगतान के आधार पर किये जाते हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत पांच वर्षों में निर्मित फ्लैटों का वर्ष विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	निर्मित फ्लैट
1992-93	7076
1993-94	0661
1994-95	6044
1995-96	2290
1996-97	7743

आबंटित फ्लैटों के वर्ष वार ब्यौरे नहीं दिये जा सकते, क्योंकि आबंटन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें वापस किये गये और निरस्त किये गये फ्लैट भी पुनः आबंटन हेतु शामिल होते है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां संबंधित उच्च स्तरीय समिति

1860. **श्री रामगोपाल यादवः क्या शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनधिकृत कालोनियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, यदि हां, तो यह कब और किसकी अध्यक्षता में गठित की गयी थी और इसके सदस्यों के साथ समिति के सदस्यों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त समिति के कार्य एवं अधिकार क्या थे;

(ग) क्या उक्त समिति ने भविष्य में अनधिकृत कालोनियों के फैलाव को रोकने हेतु सरकार के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं और सरकार द्वारा किस रूप में लागू कि जाएंगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) से (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी० डब्ल्यू० पी० सं० 4771/93 में अपने दिनांक 9.12.96 के आदेश में सचिव, शहरी विकास विभाग को निदेश दिया था कि दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जिसमें संबंधित अधिकरणों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कम से कम 2-3 लोकहित चिन्तक भी शामिल हो। तदनुसार, 1.11.1996 को गठित एक उच्च स्तरीय समिति का दिनांक 24.12.1996 को पुनर्गठन किया गया। उच्च स्तरीय समिति की संरचना तथा विचारार्थ विषय विवरण में दिए गए है (नीचे देखिए) समिति ने उच्च न्यायालय को उनके द्वारा मांगी गई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मामला अभी न्यायाधीन है।

विवरण

(1) उच्च स्तरीय समिति का गठन

1. श्री एन० सी० सिंह — अध्यक्ष
   सचिव (यू डी)
   शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
2. श्री पी०वी० जयकृष्णन — सदस्य
   मुख्य सचिव
   रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार
3. श्री हेमेन्द्र कुमार — सदस्य
   अपर सचिव (यू डी)
   शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
4. उपाध्यक्ष — सदस्य
   दिल्ली विकास प्राधिकरण
5. श्री जगदीश सागर — सदस्य
   प्रधान सचिव (यू डी)
   रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकर
6. श्री बी० एस० मिन्हास — सदस्य
   संयुक्त सचिव
   शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
   शहरी विकास विभाग
7. श्री वी० के० दुग्गल — सदस्य
   आयुक्त
   दिल्ली नगर निगम
8. श्री आई० ए० खान —सदस्य
   अध्यक्ष
   नई दिल्ली नगर परिषद
9. महाप्रबंधक — सदस्य
   दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान
10. श्री राकेश मोहन — सदस्य
    अपर आयुक्त (डब्ल्यू एस)
    दिल्ली नगर निगम
11. श्री कृष्ण लाल शर्मा, संसद सदस्य— सदस्य
12. श्री जग प्रवेश चन्द्र — सदस्य
    विधायक, रा० रा० क्षेत्र दिल्ली
    सरकार
13. श्री शोएब इकबाल, विधायक — सदस्य
    रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार
14. श्री एस० पी० एस० परिहार — संयोजक सदस्य

(2) उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषयः—

(क) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की समस्या पर विचार करना तथा इसके कारणों का विश्लेषण करना।

(ख) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की समस्या से निपटने के लिए उपायों का सुझाव देना जिनमें दिल्ली की उन कालोनियों को नियमित करने से पहले से बसी है, जिन्हें खतरा नहीं या खतरा न जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा में कोई खतरा नहीं पहुंचती, को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश भी सम्मिलित है

(ग) भविष्य में इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए उपायों का सुझाव देना।